

समाहरणालय, सहरसा
महिला एवं बाल विकास निगम (WCDC)
महिला शक्तिकरण भवन, सहरसा।

फोन : +919955998039, Email : dpmwcdcsaharsa.wcdc@gmail.com
पत्रांक:— WCDC/15/2025 / सहरसा।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
सहरसा।

सेवा में,

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी
सहरसा।

दिनांक 02/02/2026 /

विषय:— मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजनान्तर्गत जिला पुलिस मुख्यालय स्थित पुलिस लाईन परिसर, सहरसा में पालनाघर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

प्रसंग:— प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के पत्रांक — WCDC/1882/23, दिनांक 09.08.2023

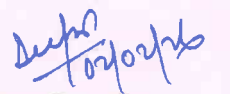
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजनान्तर्गत जिला पुलिस मुख्यालय स्थित पुलिस लाईन परिसर, सहरसा में पालनाघर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाना है।

अतः उपरोक्त नियोजन हेतु विज्ञापन प्रारूप, नियोजन की शर्तें एवं लिंक <https://miswcdc.bihar.gov.in/publicweb/BeforeFillingApplicationSah.aspx> जिले के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक:— यथोक्त।

विश्वासभाजन



जिलाधिकारी,
सहरसा।

मुख्यमंत्री नारीशक्ति योजनान्तर्गत जिला पुलिस मुख्यालय स्थित पुलिस लाईन परिसर सहरसा मे पालनाघर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु

विज्ञापन प्रारूप

विज्ञापन संख्या - 01/2026

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक - WCDC/1882/23 दिनांक - 09/08/2023 के आलोक में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजनान्तर्गत कामकाजी महिलाओं के लिए उनके 06 माह से 05 वर्ष तक के बच्चों की कार्यालय अवधि में देखरेख हेतु पालनाघर का संचालन किया जाना है। जिला पुलिस मुख्यालय स्थित पुलिस लाईन परिसर, सहरसा में पालनाघर संचालन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका के कंडिका - 10 एवं 11 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप कर्मियों (श्रमबल) का चयन किया जाना है।

उक्त पालनाघर के संचालन हेतु क्रेच वर्कर के एक पद एवं सहायक क्रेच वर्कर के एक पद पर संविदा आधारित नियोजन हेतु सुयोग्य/इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।
स्वीकृत रिक्त पदों के लिए अर्हताएँ एवं योग्यता निम्नवत् होगी:-

क्र० सं०	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	योग्यता/अर्हताएँ/ अनुभव	मानदेय	अभ्युक्ति
1	क्रेच वर्कर (महिला हेतु आरक्षित)	01	शैक्षणिक योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण। अनुभव:- बच्चों के साथ किसी संस्थान/स्कूल/ऑगनबाड़ी/प्ले स्कूल आदि से संबंधित कार्य का 03 साल का अनुभव। उम्र:- अधिकतम 40 वर्ष।	14,730.00 प्रति माह	पद संविदा आधारित है।
2	सहायक क्रेच वर्कर (महिला हेतु आरक्षित)	01	शैक्षणिक योग्यता - बारहवीं पास अथवा इंटरमिडिएट। अनुभव:- बच्चों की देख-रेख संबंधित कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र:- अधिकतम 40 वर्ष।	11,640.00 प्रति माह	पद संविदा आधारित है।

1. इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 28.02.2026 के अपराह्न 05:00 बजे तक अपना आवेदन दिये गये लिंक <https://miswcdc.bihar.gov.in/publicweb/BeforeFillingApplicationSah.aspx> पर समर्पित करेंगे। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. क्रेच वर्कर एवं सहायक क्रेच वर्कर पदों पर नियोजन परियोजना आधारित अस्थायी प्रकृति का होगा। साथ ही कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए किया जाएगा तथा एक वर्ष की अवधि में प्रथम तीन माह परीक्ष्यमान अवधि होगी।
3. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंकपत्र अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र आदि की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को क्रेच वर्कर एवं सहायक क्रेच वर्कर के आवेदिकाओं की न्यूनतम आयु क्रमशः 21 वर्ष एवं 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए।
5. अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
6. साक्षात्कार की तिथि के दिन आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा।
7. साक्षात्कार की तिथि की सूचना जिले के वेबसाइट <https://saharsa.nic.in> पर प्रदर्शित किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा किसी भी तरह के पत्राचार नहीं किया जाएगा।
8. उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार की सूचना, साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों की मेधा सूची, चयन सूची आदि का प्रकाशन समय - समय पर जिले के वेबसाइट <https://saharsa.nic.in> पर किया जाएगा।
9. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्य या प्रमाण पत्र देने पर उनका नियोजन कभी भी निरस्त कर अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
10. किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में अथवा अन्य कारणों से इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी, सहरसा के पास सुरक्षित रहेगा।

Dup
Tony
जिलाधिकारी,
सहरसा।